

ऑपरेशन 'गयिर बॉक्स'

प्रलिस के लयः

ऑपरेशन 'गयिर बॉक्स'

मेन्स के लयः

नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या और संबंधित पहल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजस्व खुफिया नदिशालय (Directorate of Revenue Intelligence-DRI) ने हेरोइन की तस्करी को रोकने के लयि ऑपरेशन 'गयिर बॉक्स' शुरू कयि, जसिमें कोलकाता बंदरगाह से 39.5 कलोग्राम प्रतबिंधति पदार्थ जब्त कयि गया ।

- [सवापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधनियम](#) के प्रावधानों के तहत हेरोइन की जाँच की गई और उसे जब्त कर लयि गया ।

ऑपरेशन 'गयिर बॉक्स':

- गयिर बॉक्स/कंटेनर में **छपाई गई दवाओं का पता लगाने के लयि ऑपरेशन गयिर बॉक्स चलाया गया है** ।
- पुराने और उपयोग कयि गए गयिर बॉक्स को खोलने के बाद वहाँ से गयिर को हटा दयि गया और उस जगह पर मादक पदार्थों से युक्त प्लास्टिक के पैकेट रखे गए तथा जाँच से बचने के लयि गयिर बॉक्स को फरि से फटि कर दयि गया था ।
 - ड्रग सडिकिट ने हेरोइन को छपाने के लयि इस अनोखे तरीके का उपयोग कयि है ।
- इन पैकेटों को धातु के स्क्रेप के साथ अन्य धातु स्क्रेप के अंदर छपिकर भेजा गया था, ताक अधिकारयों का ध्यान इस पर न जाए ।

भारत में ड्रग्स का सेवन:

- भारत के युवाओं में **नशे की लत** तेज़ी से फैल रही है ।
 - भारत वशिव के दो सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों ([एक तरफ 'गोल्डन ट्रायंगल'](#) और [दूसरी तरफ 'गोल्डन क्रसिंट'](#)) के बीच स्थिति है ।
 - 'गोल्डन ट्रायंगल' क्षेत्र में थाईलैंड, म्याँमार, वयितनाम और लाओस शामिल हैं ।
 - 'गोल्डन क्रसिंट' क्षेत्र में पाकसि्तान, अफगानसि्तान और ईरान शामिल हैं ।



- **वरुड ड्रग रपॉर्ट 2021** के अनुसार, भारत (वर्श में जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा नरिमाता) में प्रसिक्प्रिशन वाली दवाओं और उनके अवयवों को मनोरंजक उपयोग के साधनों में तेज़ी से परिवर्तित किया जा रहा है।
- **अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो** की 'क्राइम इन इंडिया- 2020' रपॉर्ट के अनुसार, NDPS अधिनियम के तहत कुल 59,806 मामले दर्ज किये गए थे।
- सामाजिक न्याय मंत्रालय और **अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS)** की वर्ष 2019 में मादक द्रव्यों के सेवन की मात्रा पर जारी रपॉर्ट के अनुसार,
 - भारत में 3.1 करोड़ भाँग उपयोगकर्ता हैं (जिनमें से 25 लाख आश्रित उपयोगकर्ता थे)।
 - भारत में 2.3 करोड़ ओपओइड उपयोगकर्ता हैं (जिनमें से 28 लाख आश्रित उपयोगकर्ता थे)।

अन्य संबंधित पहलें:

- **जबती सूचना परबंधन प्रणाली**
- **नेशनल ड्रग एबयुज़ सर्वे**
- **NDPS अधिनियम, 1985**
- **नशा मुक्त भारत**

नशीली दवाओं के खतरे का मुकाबला करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और सम्मेलन:

- भारत नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरे से निपटने के लिये निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संधियों और सम्मेलनों का हस्ताक्षरकर्ता है:
 - **नारकोटिक ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र (UN) कन्वेंशन** (1961)
 - मनोदैहिक पदार्थों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (1971)
 - **नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध तस्करी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (1988)**
 - अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनटीओसी) 2000

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. दुनिया के दो सबसे बड़े अवैध अफीम उत्पादक राज्यों के साथ भारत की नकटता ने उसकी आंतरिक सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों जैसे- बंदूक बेचने, मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिये। इसे रोकने के लिये क्या उपाय किये जाने चाहिये? (2018, मुख्य परीक्षा)

स्रोत: पी.आई.बी.